डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 33/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 33/2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख : 31 दिसम्बर, 2021

मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोहाली में 19.07.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ से संबंधित दिनांक 19.07.2021 के आदेश संख्या 04/2021-22 के मामले में – तदर्थ टैरिफ आदेश 31.03.202 तक बढ़ाना

प्राधिकरण ने दिनांक 19.07.2021 के आदेश संख्या 04/2021-22 द्वारा मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड (बीएएसएमपीएल) के लिए चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोहाली में 19.07.20201 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तदर्थ टैरिफ का अनुमोदन प्रदान किया है।

2. इस संबंध में मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 21.12.2021 की अपनी ई-मेल द्वारा प्राधिकरण से मौजूदा टैरिफ को तदर्थ आधार पर 31.03.2022 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

3. मैसर्स बीएएसएमपीएल, मोहाली ने यह भी कहा है कि वे तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ के निर्धारण के लिए एमवाईटीपी/एटीपी तैयार कर रहे हैं और इसे शीघ्र ही प्रस्तुत कर देंगे।

4. प्राधिकरण ने उनके अनुरोध की जांच कर 31.12.2021 को तदर्थ आधार पर लागू मौजूदा टैरिफ को 01.01.2022 से 31.03.2022 तक अगले तीन (03) माह की अवधि या नियमित टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का निर्णय लिया है।

आदेश

5. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:-

(i) चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोहाली में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाले मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड (बीएएसएमपीएल) को 31.12.2021 को लागू मौजूदा तदर्थ टैरिफ 01.01.2022 से 31.03.2022 तक तीन (03) माह की अगली अवधि, या, तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ऐरा द्वारा नियमित टैरिफ का निर्धारण किए जाने तक, जो भी पहले हो, वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) दिनांक 19.07.2021 के आदेश संख्या 04/2021-22 की अन्य शर्तें एवं निबंधन यथावत रहेंगे।

(iii) मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड को सलाह दी जाती है कि वे तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटीपी शीघ्र प्रस्तुत करें।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवा में,

श्री संजय सावंत,
मुख्य वित्तीय अधिकारी,
मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड,
ई-9, कनॉट हाऊस, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली -110001

प्रतिलिपि:

1. सचिव,
   नागर विमानन मंत्रालय,
   राजीव गांधी भवन,
   सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003.

2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
   मोहाली (पंजाब)